सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 22, बुधवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 13, 2023 *Agrahayana 22, Wednesday , Saka 1945- December 13 , 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 05, 2023

एस.ओ.518 :-राजस्थान सिंचाई तथा जल-निकास अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 21) की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सिंचाई तथा जल-निकास नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिंचाई तथा जल-निकास (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-1 का संशोधन.- राजस्थान सिंचाई तथा जल-निकास नियम, 1955 से संलग्न अनुसूची-1 में विद्यमान मद 5(क) और 5(कक) और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5(क)	जहां सरकारी व्यय उपगत कर संनिर्मित किये गये बांध/टैंक/नहर से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल का आबंटन किया जाता है।	31.03.2024 तक रू. 302.50 प्रति 1000 घन फुट, 01.04.2024 से 31.03.2025 तक रू. 332.75 प्रति 1000 घन फुट और तत्पश्चात् दर 31 मार्च को विद्यमान दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जायेगी।

5(कक) जहां,-

(i) कोई सरकारी व्यय उपगत किये बिना नदी/नाला/प्राकृतिक जल-धारा; और

(ii) बांध/टैंक/नहर, जहां लागत/लागत अंश संबंधित उद्योग द्वारा वहन किया जाता है,-

से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग की अनुज्ञा मंजूर की जाती है।

31.03.2024 तक रू. 36.30 प्रति 1000 घन फुट, 01.04.2024 से 31.03.2025 तक रू. 39.93 प्रति 1000 घन फुट और तत्पश्चात् दर 31 मार्च को विद्यमान दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जायेगी।"

[एफ.13/सीईएसडब्ल्यूआरपीडी/जयपुर-00156]
राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.